राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 303/2011/अजमेर

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग,
विशेष–वृत, अजमेर। .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स श्री सीमेन्ट प्रा0 लि0,
ब्यावर, अजमेर। .....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री के.एल.जैन, सदस्य
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :
श्री जमील जई,
उप राजकीय अधिवक्ता .....अपीलार्थी की ओर से
श्री एम.एल.पाटौदी
अधिवक्ता .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 05/03/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, अजमेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 73/10–11/आर/वैट/ब्यावर में पारित आदेश दिनांक 26.07.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत, अजमेर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.09.2008 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को आंशिक स्वीकार किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी सीमेन्ट व क्लिंकर की निर्माता कम्पनी है। कम्पनी द्वारा मशीनरी निर्माण में प्रयुक्त करने हेतु एम.एस. प्लेट्स की खरीद, राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 12.07.2004 के अनुसार स्टील ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया से कर मुक्ति के साथ की गई थी, परन्तु विक्रेता फर्म द्वारा जारी बिलों में पूर्ण दर से टैक्स चार्ज कर लिया था, जबकि व्यवहारी को कैपिटल गुडस की खरीद के समय कर चुकाने से मुक्ति प्राप्त थी, अतः त्रुटिवश चुकाये गये कर का रिफंड प्राप्त किये जाने हेतु कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष आवेदन किया गया था परन्तु इसी बिन्दु पर अतिरिक्त आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा अधिनियम की धारा 40 के तहत एम.एस.प्लेटस को कैपिटल गुडस नहीं माने जाने का निर्णय कर दिये जाने से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा रिफण्ड दिये जाने से इंकार कर दिया गया, जिसके विरुद्ध अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा यह निर्णय दिया गया कि अतिरिक्त आयुक्त का धारा 40 के तहत पारित निर्णय राजस्थान कर बोर्ड की अपील संख्या 2374/2005 दिनांक 08.01.2008 से अपास्त

लगातार.....2

कर दिया गया है एवं कर बोर्ड द्वारा एम.एस.प्लेटस को कैपिटल गुडस माना गया है अतः इस पर चुकाये गये कर का रिफंड दिया जावें। अपीलीय अधिकारी के निर्णय में यह भी अंकित किया गया था कि कर बोर्ड के निर्णय को विभाग द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में चुनौती दी हुई है परन्तु निर्णय के विरुद्ध कोई स्थगन प्राप्त नहीं होने से कर बोर्ड के निर्णय की पालना में रिफंड दिया जाना अनिवार्य है।

3. दोनों पक्षो की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

4. राजस्व की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता ने यह स्वीकार किया कि राजस्थान कर बोर्ड द्वारा उक्त वर्णित अपील संख्या 2374/2005 में पारित निर्णय दिनांक 08.01.2008 के विरुद्ध राजस्व द्वारा जो रिवीजन प्रस्तुत किया गया था उसे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा SB STR No. 444/2008 में खारिज करते हुये कर बोर्ड के आदेश को विधिसम्मत माना गया है अतः अतिरिक्त आयुक्त के दिनांक 12.04.2004 का आदेश अपास्त हो चुका है।

5. उक्त प्रकरण में अपीलीय अधिकारी द्वारा जो निर्णय किया गया है वह कर बोर्ड के आदेश दिनांक 08.01.2008 के आलोक में किया गया है, जिसकी पुष्टि उपरोक्त पैरा अनुसार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा की जा चुकी है, जिसमें राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 12.07.2004 के अनुसार एम.एस.प्लेटस को केपीटल गुडस माना जाने से उसकी खरीद पर कर चुकाने की आवश्यकता नहीं थी, ऐसी स्थिति में विक्रेता द्वारा त्रुटिवश संग्रहित किया गया कर प्रत्यर्थी व्यवहारी को लौटाना विधिसम्मत था। अतः कर बोर्ड एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा व्यवहारी के पक्ष में किये गये निर्णय के प्रकाश में अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है एवं अपीलार्थी राजस्व की अपील खारिज की जाती है।

6. उपरोक्तानुसार अपीलार्थी राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(के. एल. जैन)
सदस्य